

## उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मर्ली

### चर्चा में क्यों?

4 फरवरी को न्यायमूर्तरिति बाहरी ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

### मुख्य बढि:

- उत्तराखण्ड के राज्यपाल लेफ्टनेंट जनरल गुरुमीत सहि ने जस्टिस बाहरी को पद की शपथ दलाई।
  - उत्तराखण्ड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नयुक्त से पहले, न्यायमूर्त बिहरी ने वर्ष 2010 से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
- वह नागरिक, संवैधानिक, कराधान, श्रम और सेवा मामलों में विशेषज्ञ हैं।
- अपनी 24 वर्ष की कानूनी प्रैक्टिस के दौरान, उन्होंने हरियाणा राज्य के लिये सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया।

### महाधिवक्ता

- भारत के संवैधान के भाग VI (राज्य) में अध्याय 2 (कार्यपालिका) का अनुच्छेद 165 राज्यों के लिये महाधिवक्ता के कार्यालय का प्रावधान करता है।
- उसकी नयुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नयुक्त होने के लिये योग्य होना चाहिये।
- महाधिवक्ता अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में राज्य के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने का अधिकारी है।
- महाधिवक्ता को राज्य वधानमंडल के दोनों सदनो की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।